पत्रांक / जी0एस0टी0 / शोध / 2017–18 139 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::22 मई,2017

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

विषय– जी0एस0टी0 के प्रचार–प्रसार हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–जी0एस0टी0 / पंत्रा0 सं0–95 स्टेकहोल्डर्स–iii / 2017–18 / 112 / वाणिज्य कर, दिनांक 16 मई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जी0एस0टी0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक सम्भाग में सप्ताह में कम से कम दो जागरूकता सेमिनार व जोन स्तर पर एक वृहद समेनिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए गए थें। चूंकि जी0एस0टी0 दिनांक 1 जुलाई 2017 से लागू होना प्रस्तावित है। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में व्यापारिक संगठनों व व्यापारियों द्वारा लगातार मुख्यालय स्तर पर जिज्ञासाओं के समाधान हेतु दूरभाष / पत्र व्यवहार से सम्पर्क किया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अभी भी जी0एस0टी0 में माईग्रेशन / समस्याओं के सम्बन्ध में व्यापारियों की जिज्ञासाओं का समाधान फील्ड स्तर पर समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः पूर्व में जागरूकता सम्बन्धित जारी निर्देशों के क्रम में यह निर्देश दिए जाते है कि प्रत्येक सेक्टर में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम 25–25 व्यापारियों से दूरभाष पर सम्पर्क करते हुए सेक्टर के किसी मुख्य बाजार के किसी स्थान जैसे– धर्मशाला, समुदयिक केन्द्र या किसी व्यापारी के व्यापार स्थल पर व्यापारियों को आमन्त्रित कर जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में अवगत कराएगें एवं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह कार्यक्रम बिना किसी औपचारिकताओं के व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11:00 से 12:00 तक आयोजित किए जाएगें। कार्यक्रम में व्यापारियों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रारूप में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	खण्ड	कार्यक्रम स्थल	दिनांक	व्यापारी / फर्म का नाम	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर